2020/00030

बोथरा स्टेशनर्स, भीलवाड़ा 230289

राजस्थान सरकार

ता. पेशी स्टेज

19.1.2021
9.2.21
एकपक्षीय
23.2.21
6.4.21
26/10/21
16.11.22
खारिज
30.11.22

जनरल रूल्स [redacted] सिविल फार्म नम्बर 8 के
न्यायालय उपखण्ड [redacted] जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नम्बर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	फैसला कमांक
1	2	3	4	5
183	43/20	15.12.2020	21/9/2021 – 20/7/22 – 18/7/23	जवाब जवाब बन्द

अनवान

श्री गोपाल लाल पिता केशुलाल श्री नाराण पिता छोटू जाति बलाई
जाति - महाजन

निवासी छ्यामपुरा निवासी खड़ोदिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मदयूनाल

Adv. श्री घनश्याम धाकड़ Adv. श्री महेन्द्र धाकड़

Scanned with OKEN Scanner

FORM NO. III

फर्द अहकम

नियम 26

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

गोपाल बनाम नारायण

किस्म मुकदमा 183 नम्बर 43/20 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.12.2020	वादपत्र पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन मय नकल वादपत्र पत्र भेज की जावें। पत्रावली दिनाक 19/01/2021 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
19/1/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.। प्रतिवादीगणों की सम्मन बाद तामील प्राप्त। जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादीगण स. 1, 2 की ओर से अधि. मुकेश धाकड़ ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते गौर तलबी/जवाब दि. 9.2.21 को पेश हो।	प्र. सं. 1 व 2 की ओर से फलदेय [illegible] 19.1.2021
9/2/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक अधिवक्ता उप.। प्रतिवादीगण स. 3, 4, 5, 6 की फर्द में तामील हो चुकी थी आवाज दिलायी गयी गैर हाजिर, अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए जाते हैं। प्रतिवादी स. 1, 2 की ओर से अधिवक्ता जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 2.3.21 को पेश हो।	

43/20

...क कलेक्टर महोदय

...जिला भीलवाड़ा (राज.)

... उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा

(राज.)

...नी श्यामपुरा

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 15.2.23 को वास्ते सहमति पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15.2.23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 15-3-23 को वास्ते सा.स्था. पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15/3/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 19/4/23 को वास्ते सा. वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
19/4/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/5/23 को वास्ते सा.- वादी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी 21/6	
24/5/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 21/6/23 को पेश हो।	
21/06/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी आगामी दिनांक 05/7/23 को पेश हो।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
5/7/23 गो.पा./ 2। मिसल	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित वादी गोपालदास एवं रामेश्वर के बयान लिए गए। जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/07/2023 हो। /s/
11/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय / बहस दिनांक 18/7/23 को पेश हो। /s/
18/7/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। /s/ उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिंजौलियाँ जिला भीलवाडा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 43/2020 दायर तारीख 15.12.2020

अनवान्

1. गोपाल लाल पिता केशुलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा हा0मु0 अमरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. रामेश्वर लाल पिता केशुलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा हा0मु0 अमरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........वादीगण

बनाम्

1. नाराण पिता छोटु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बड़ौदिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. किशन पिता छोटु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बड़ौदिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. नाराण पिता नाना जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. रतन पिता श्रवण जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. धर्मा पिता काना जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. शैतान पिता काना जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री घनश्यामलाल धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 183 राज0 काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 18/07/2023

संक्षेप मे वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण ने वादपत्र अर्न्तगत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की मौजा ग्राम बडौदिया पटवार हल्का जलीन्दी तहसील बिजौलियां की कृषि भूमि के खाता संख्या 25 पर अंकित आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 7–16 बीघा, खसरा नम्बर 188 रकबा 5–19 बीघा, खसरा नम्बर 197 रकबा 0–07 बीघा कुल किता 4 रकबा 14–10 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार हैं। जिसे अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज रह काश्त करने का पूर्ण अधिकार हैं। उक्त आराजी खसरा संख्या 179 रकबा 0–08 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 का अवैध कब्जा है एवं खसरा संख्या 188 रकबा 7–16 बीघा में से रकबा 1–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं रकबा 0–02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 का अवैध कब्जा हैं प्रतिवादीगण द्वारा कुल रकबा 1–10 बीघा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि में प्रतिवादीगण को कोई सम्बन्ध कोई वास्ता नही हैं। उक्त आराजी के कुछ हिस्से पर शनै शनै प्रतिवादी ने कब्जा कर लिया गया। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी भूमि से कब्जा हटाने बाबत् कहां तो प्रतिवादीगण लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये हैं। वादीगण ने दिनांक 24/06/2020 को विवादित आराजीयात की सीमा जानकारी हेतु पत्थगढी करवाई तो तथ्य की जानकारी हुई की प्रतिवादीगण द्वारा खसरा संख्या 179 रकबा 0–08 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 का अवैध कब्जा हैं एवं खसरा संख्या 188 रकबा 7–16 बीघा में से रकबा 1–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एवं रकबा 0–02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 का अवैध कब्जा है प्रतिवादीगण द्वारा कुल रकबा 1–10 बीघा भूमि पर अवैध नाजायज कब्जा है वादीगण ने प्रतिवादी से कब्जा हटाने बाबत कहा तो तैया नही हुये और कब्जा भी नही सौंपा एवं लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये और पत्थरगढ़ी के जो मुटाम लगाये गये उनको भी प्रतिवादीगण ने उखाड़ दिये। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण को बेदखल करने हेतु न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया हैं।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाडा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण ने अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम बडौदिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की कृषि भूमि के खाता संख्या 25 पर अंकित आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0–08 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 का अवैध कब्जा है एवं खसरा संख्या 188 रकबा 5–19 बीघा में से रकबा 1–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एवं रकबा 0–02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 का अवैध कब्जा है प्रतिवादीगण द्वारा कुल रकबा 1–10 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा हटाया जाकर वादीगण को पुनः कब्जा सिपुर्द किये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादर फरमायी जावें। धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण को जो अनुतोष मुफीद हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें। वादपत्र सभी प्रकार के व्ययो के भुगतान सहित वादीगण के पक्ष में डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवायी गयी।

प्रतिवादीगण वावजूद इतिल्ला गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें।

प्रकरण एक पक्षीय होने से तनकीयात कायम नही की गयी।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 मौजा बडौदिया प्रस्तुत की जो प्रदर्श–1 है एवं मौका पर्चा ग्राम बड़ौदिया का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श–2 है। अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी।

साक्ष्यवादी में पीडब्ल्यू–1 गोपाललाल पिता कैशुलाल महाजन निवासी श्यामपुरा हाल अमरपुरा को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये एवं **पीडब्ल्यू–2** रामेश्वर पिता केशुलाल महाजन निवासी अमरपुरा को प्रस्तुत कर कथन लेख बद्ध करवाये गये हैं। जो शामिल पत्रावली हैं। इसके अलावा कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी हैं।

पीडब्ल्यू–1 गोपाललाल पिता केशुलाल महाजन निवासी श्यामपुरा हाल अमरपुरा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम बडौदिया पटवार हल्का जलीन्द्री में, मैं एवं मेरे भाई साहब रामेश्वर शामलाती खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। जिसके आराजी नम्बर 179–182–188–197 कुल किता 4 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वां हैं। उक्त जमीन की पत्थरगढी करवाई, जिसमें विपक्षीगण ने अवैध कब्जा कर रखा है। विपक्षीगण को बेदखल किया जावे और कब्जा हमे सौपा जावें।

पीडब्ल्यू–2 रामेश्वर पिता केशुलाल महाजन निवासी अमरपुरा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम बडौदिया पटवार हल्का जलीन्द्री में, मैं एवं मेरे भाई साहब रामेश्वर शामलाती खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। जिसके आराजी नम्बर 179–182–188–197 कुल किता 4 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वां हैं। उक्त जमीन की पत्थरगढी करवाई, जिसमें विपक्षीगण ने अवैध कब्जा कर रखा है। विपक्षीगण को बेदखल किया जावे और कब्जा हमे सौपा जावें।

विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र में अंकित अनुतोष दिलाना चाहा एवं वाद की सत्यता बाबत् वादी ने स्वयं वादी के बयान कराये हैं। नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। विपक्षी द्वारा कब्जा करने की ताईद में वादिया का शपथपत्र में संलग्न हैं।

वादपत्र डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द करना चाहा है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 मौजा बडौदिया स्थित खाता संख्या 25 पर अंकित आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0–08 बीघा, खसरा नम्बर 182 रकबा 7–16 बीघा, खसरा नम्बर 188 रकबा 5–19 बीघा, खसरा नम्बर 197 रकबा 0–07 बीघा कुल किता 4 रकबा 14–10 बीघा भूमि गोपाललाल रामेश्वर पिता केशुलाल महाजन सा0 श्यामपुरा के नाम पर दर्ज रेकार्ड हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र में इन्ही आराजीयात पर प्रतिवादीगण का कब्जा होना अंकित किया हैं। विपक्षीगण का वादीगण की

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर कब्जा काश्त हैं। विपक्षीगण को यदि किसी प्रकार की आपत्ति होती तो न्यायालय में उपस्थित होकर चाराजोही करते। प्रकरण एक पक्षीय है। वादीगण के वादपत्र एवं प्रस्तुत गवाह के साक्ष्य के आधार पर प्रस्तुत वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

—: आदेश :—

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी गण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम बडीदिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की कृषि भूमि के खाता संख्या 25 पर अंकित आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0–08 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 के अवैध कब्जे एवं खसरा संख्या 188 रकबा 5–19 बीघा में से रकबा 1–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एवं रकबा 0–02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 का अवैध कब्जा होने से कुल रकबा 1–10 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे। उक्तानुसार डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 18/07/2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी – बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)

बईजलास श्रीमती सीमा तिवाड़ी (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां

वादपत्र संख्या 43/2020 दायर तारीख 15.12.2020

अनवान्

1. गोपाल लाल पिता केशुलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा हा0मु0 अमरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. रामेश्वर लाल पिता केशुलाल जाति महाजन उम्र वयस्क निवासी श्यामपुरा हा0मु0 अमरपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.......वादीगण

बनाम्

1. नाराण पिता छोटु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बड़ौदिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. किशन पिता छोटु जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी बड़ौदिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. नाराण पिता नाना जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. रतन पिता श्रवण जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. धर्मा पिता काना जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
6. शैतान पिता काना जाति माली उम्र वयस्क निवासी रामपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.......प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां (जिला भीलवाड़ा)

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 रा0टी0एक्ट

निर्णय दिनांक 18/07/2023
डिक्री दिनांक 18/07/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय आप पक्षकारान श्री घनश्यामलाल धाकड़ अधिवक्ता वादी उपस्थित के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :–

वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम बडौदिया पटवार हल्का जलीन्द्री तहसील बिजौलियां की कृषि भूमि के खाता संख्या 25 पर अंकित आराजी खसरा नम्बर 179 रकबा 0–08 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 के अवैध कब्जे एवं खसरा संख्या 188 रकबा 5–19 बीघा में से रकबा 1–00 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का एवं रकबा 0–02 बीघा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 का अवैध कब्जा होने से कुल रकबा 1–10 बीघा भूमि पर से प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर कब्जा वादीगण को सिपुर्द किया जावें। खर्चा पक्षकारान स्वंय अपना अपना वहन करे।

नीज ....Nil..........................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ...
..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18 माह 07 वर्ष 2023 को जारी की गयी।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया			स्टाम्प अरजीदया		
स्टाम्प वकीलात नामा			स्टाम्प वकीलात नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील ( )			महनताना वकील ( )		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाह		
फीस कमीश्नर			फीस कमीश्नर		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
मुनफरिक			मुनफरिक		
मीजान			मीजान		

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

Scanned with OKEN Scanner